

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268181
SG-DL-E-03122025-268181असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 352
No. 365]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947	[N. C. T. D. No. 352

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 14/2025-राज्य कर

फा0सं0 3(37)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 1155.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 54 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 10ख के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण वाले वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

क्र० सं०	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू तथा निर्मित तंबाकू के पदार्थ
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण:

(i) इस अधिसूचना में, “टैरिफ मद”, “शीर्षक”, “उप-शीर्षक” और “अध्याय” का अर्थ क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, शीर्षक, उप-शीर्षक तथा अध्याय से होगा;

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्यात्मक नियम, जिसमें प्रथम अनुसूची की धारा और अध्याय टिप्पणियाँ तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 1st December, 2025

No. 14/2025-State Tax

F.No. 3 (37)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1155.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely, -

- Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017;
- Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

S. No.	Chapter/ Heading/ Sub- heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation:

(i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)